न्यायालयः– न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बालोद

जिला–बालोद (छ.ग.)

(पीठासीन अधिकारी– श्रीमती हीरा सिन्हा)

//निर्णय//

(आज दिनांक 13–08–2026)

दाण्डिक प्रकरण क्रमांक– 84/2020

सी.एन.आर.नं.–CGBL02–000100–2020

अपराध क्र.–278/2019

थाना–बालोद, जिला–बालोद (छ.ग.)

शिकायतकर्ता	छ.ग. राज्य
राज्य की ओर से	श्री राघवेन्द्र पाण्डे, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी
अभियुक्त	संजय कुलदीप, पिता स्व. बंशीलाल कुलदीप, उम्र 27 वर्ष, साकिन कराठी, थाना भानुप्रतापपुर, जिला कांकेर (छ.ग.)
अभियुक्त की ओर से	श्री दानमल जैन अधिवक्ता

Case Number –84/2020
State Vs Sanjay Kuldeep

घटना दिनांक	19.06.2019
प्रथम सूचना रिपोर्ट	20.06.2019
अभियोग पत्र प्रस्तुति दिनांक	28.01.2020
आरोप पत्र विरचित दिनांक	27.02.2020
साक्ष्य प्रारंभ होने की तिथि	03.04.2021
निर्णय सुरक्षित रखने का दिनांक	13.08.2026
निर्णय की तिथि	13.08.2026
सजा आदेश की तिथि यदि कोई हो	निरंक

//अभियुक्त का विवरण//

आरोपी का रैंक	आरोपी का नाम	गिरफ्तारी दिनांक	जमानत पर मुक्त होने का दिनांक	आरोपित अपराध	दोषमुक्ति या दोषसिद्धि	दी गई सजा	धारा 428 प्रयोजन के लिए विचारण के दौरान की गई निरोध की अवधि
1.	संजय कुलदीप	10.01.20	10.01.20	धारा279, 337, 304–ए भारतीय दण्ड संहिता	दोषमुक्ति	निरंक	निरंक

Case Number –84/2020
State Vs Sanjay Kuldeep

अनुक्रमणिका

क्रमांक	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	निर्णय का शीर्षक	1–3
2.	अधिवक्ता की उपस्थिति	1
3.	आरोप	4
4.	स्वीकृत तथ्य	4
5.	अभियोजन की कहानी	4–5
6.	अभियुक्त कथन	6
7.	विचारणीय प्रश्न	6–7
8.	सकारण निष्कर्ष	7–17
9.	सजा	–
10.	निरोध की अवधि व सेटऑफ	–
11.	संपत्ति का व्ययन	18
12.	प्रतिकर का आदेश	–
13.	धारा 428 दं.प्र.सं. का प्रमाण पत्र	19
14.	सजा में प्रतिबद्धता का वारंट कारावास (अर्थदण्ड)	–
15.	निर्णय की प्रति	19

Case Number –84/2020
State Vs Sanjay Kuldeep

–//निर्णय//–

(आज दिनांक 13.08.2026 को घोषित)

01– अभियुक्त संजय कुलदीप के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा–279, 337, 304 ए का आरोप है कि उसने दिनांक 19.06.2019 के रात्रि लगभग 01.00 बजे थाना बालोद क्षेत्रांतर्गत दुर्ग बालोद मेन रोड ग्राम पारागांव के पास, जो एक लोकमार्ग है, पर अपनी वाहन ट्रक क्रमांक CG19–H–0760 को उपेक्षा व लापरवाहीपूर्वक चलाते लाकर मानव जीवन संकटापन्न कर CG19–BF–3798 को ठोकर मारकर उसमें सवार राकेश कुमार यादव को उपहति एवं उत्तम देवांगन की मृत्यु कारित किया, जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आता।

02– प्रकरण में अभियुक्त के स्वीकारोक्ति के आधार पर डॉ बी.मरकाम के शव प्रतिवेदन को **प्रपी.13** चिन्हांकित किया गया है।

03– अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि, थाना बालोद के अपराध क्र.– 278/2019 के तहत, दिनांक 20.06.2019 को प्रार्थी राजकुमार जायसवाल ने ट्रक वाहन क्रं CG19–H–0760 चालक के विरुद्ध शिकायत प्रस्तुत किया कि वह दुर्घटनाग्रस्त ट्रक का वाहन स्वामी है। दिनांक 18.06.2019 को

ट्रक ड्रायवर उत्तम देवांगन/मृतक एवं हेल्पर राकेश कुमार यादव/आहत उक्त ट्रक में कच्चा लौह अयस्क लोड कर सिलतरा रायपुर ले जाने हेतु रवाना हुये थे, कि दिनांक 19.06.2019 को प्रातः लगभग 06.00 बजे उसे जानकारी प्राप्त हुआ कि दुर्घटनाकरित ट्रक क्रं CG19–H–0760 का चालक संजय कुलदीप द्वारा अपनी वाहन को तेज गति व लापरवाहीपूर्वक चलाते लाकर दुर्घटनाग्रस्त वाहन को ठोकर मारा, जिससे उत्तम देवांगन एवं राकेश कुमार यादव को चोटें आयी थी, जिन्हें ईलाज हेतु भिलाई अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके पश्चात उसके द्वारा दिनांक 20.06.2019 को थाना बालोद में रिपोर्ट दर्ज कराया गया। प्रार्थी के रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त के द्वारा धारा 279, 337, 304–ए भादवि का अपराध घटित करना पाये जाने पर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया तथा उक्त अपराध के संबंध में विवेचक द्वारा घटनास्थल का नजरीनक्शा प्रार्थी के बताये अनुसार तैयार किया गया।

04– दुर्घटनाकरित एवं क्षतिग्रस्त वाहन का क्षति पंचनामा व साक्षीगणों का बयान लेखबद्ध किया गया। मृतक का शव परीक्षण करवाया गया। अभियुक्त से दुर्घटनाकारित वाहन तथा उसका रजिस्ट्रेशन, बीमा, परमिट, फिटनेस प्रमाण पत्र तथा अभियुक्त का

ड्राईविंग लाईसेंस गवाहों के समक्ष जप्त कर एवं प्रकरण में अन्य कार्यवाही संपूर्ण कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

05– अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा–279, 337, 304–ए के दण्डनीय अपराध का विवरण तैयार कर उसकी विशिष्टिया पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर उसने अपराध नहीं करना व्यक्त कर विचारण चाहा। अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने पश्चात बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के तहत अभियुक्त का परीक्षण किया गया। अभियुक्त ने स्वयं को निर्दोष होना एवं झूठा फंसाया जाना बताया एवं बचाव में साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया।

06– प्रकरण के विधिवत निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न विरचित किया गया–

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 19.06.2019 के रात्रि लगभग 01.00 बजे थाना बालोद क्षेत्रांतर्गत दुर्ग बालोद मेन रोड ग्राम पारागांव के पास, जो एक लोकमार्ग है, पर अपनी वाहन ट्रक क्रमांक CG19–H–0760 को उपेक्षा व लापरवाहीपूर्वक चलाते लाकर मानव जीवन संकटापन्न कर CG19–BF–3798 को ठोकर मारकर उसमें सवार राकेश

कुमार यादव को उपहति एवं उत्तम देवांगन की मृत्यु कारित किया, जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आता ?

2. दोषसिद्धि/दोषमुक्ति

–:विवेचन एवं निष्कर्ष:–

07– अभियोजन द्वारा अपने प्रकरण के समर्थन में निम्न साक्षियों का परीक्षण करवाया–

अभियोजन साक्षियों का विवरण		
1.	राकेश कुमार	**अ.सा.–01**
2.	राजकुमार जायसवाल	**अ.सा.–02**
3.	कीर्तन देवांगन	**अ.सा.–03**
4.	रामजी देवांगन	**अ.सा.–04**
5.	जयप्रकाश देवांगन	**अ.सा.–05**
6.	लखन नरेटी	**अ.सा.–06**
7.	मनीष कुमार	**अ.सा.–07**
8.	डॉ. नितिश साव	**अ.सा.–08**
9.	सुरेश कुमार धनकर	**अ.सा.–09**

10.	महंग राम देशमुख	**अ.सा.–11**

तथा अपने समर्थन में निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किया:–

अभियोजन द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण		
1.	भारतीय गैर न्यायिक स्टाम्प	**प्र.पी.–01**
2.	साक्षी राकेश कुमार का पुलिस कथन	**प्र.पी.–02**
3.	प्रथम सूचना प्रतिवेदन	**प्र.पी.–03**
4.	घटनास्थल का नजरीनक्शा	**प्र.पी.–04**
5.	साक्षी राजकुमार का पुलिस कथन	**प्र.पी.–05**
6.	धारा 175 दप्रसं का नोटिस	**प्र.पी.–06**
7.	नक्शा पंचनायतनामा	**प्र.पी.–07**
8.	जप्ती पत्रक/साक्षी कीर्तन का पुलिस कथन	**प्र.पी.–08**
9.	गिरफतारी पत्रक	**प्र.पी.–09**
10.	मैकेनिकल मुलाहिजा	**प्र.पी.–10**
11.	आहत उत्तम देवांगन का मुलाहिजा रिपोर्ट	**प्र.पी.–11**
12.	आहत राकेश का मुलाहिजा रिपोर्ट	**प्र.पी.–12**

13.	धारा 91 द्रपसं का नोटिस	**प्र.पी.–13**
14.	ओनर प्रमाण पत्र	**प्र.पी.–14**
15.	आहत राकेश यादव का बेडहेट टिकिट एवं सीटी स्कैन चाहने बाबत् जिला अस्पताल, राजनांदगांव को प्रेषित तहरीर	**प्र.पी.–15**

बचावपक्ष द्वारा अपने पक्ष समर्थन में कोई साक्ष्य तथा दस्तावेज पेश नहीं किया गया है।

अंतिम तर्क

अभियोजन पक्ष – अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त के विरूद्ध अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य पर ध्यान आकृष्ट करवाकर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप प्रमाणित किए जाने का तर्क देकर विधिनुसार दण्डित किया जाना व्यक्त किया।

प्रतिरक्षा पक्ष – प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा अंतिम तर्क स्तर पर मौखिक तर्क प्रस्तुत कर अभियुक्त के विरूद्ध कोई प्रत्यक्ष व परिस्थितिजन्य साक्ष्य नहीं होने से अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजन संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है, का निवेदन का अभियुक्त को दोषमुक्त किए जाने का निवेदन किया गया है।

विचारणीय प्रश्न क्र. 1

08– विचारणीय प्रश्न क्रं. 1 प्रमाणित किए जाने का भार अभियोजन पर है। अतः अभियोजन द्वारा **राकेश कुमार (अ.सा.–01), राजकुमार जायसवाल (अ.सा.–02), किर्तन देवांगन (अ.सा.–03), रामजी देवांगन (अ.सा.–04), जयप्रकाश देवांगन (अ.सा.–05), लखन नरेटी (अ.सा.–06), मनीष कुमार (अ.सा.–07), डॉ. एन साव (अ.सा.–08), सुरेश धनकर (अ.सा.–09), प्रधान आरक्षक महंग राम देशमुख (अ.सा.–11)** का परीक्षण करवाया गया।

09– **आहत राकेश कुमार (अ.सा.–01)** ने अपने न्यायालयीन कथन में अभियुक्त को नहीं पहचानना व्यक्त करते हुये घटना दिनांक याद नहीं होने का कथन किया है। घटना दिनांक को उत्तम 12 चक्का ट्रक क्रं CG19–BF–3798 को चला रहा था और वह ट्रक के अंदर केबिन में सोया हुआ था तथा एक्सीडेंट होने के बाद ट्रक को ठोकर लगने से उसकी नींद खुली, तब देखा कि 12 चक्का ट्रक की ठोकर दूसरी ट्रक से हो गयी है। मेकाहारा हॉस्पिटल में उपचार के दौरान उत्तम देवांगन की मृत्यु हो गयी थी, इसके अतिरिक्त उसे घटना के संबंध में अन्य कोई जानकारी नहीं है।

10– अभियोजन द्वारा उक्त साक्षी को पक्षद्राहो घोषित कर प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने प्रपी.02 के अ से अ भाग का पुलिस बयान दिया था।

11– **राजकुमार जायसवाल (अ.सा.–02)** ने अपने न्यायालयीन कथन में व्यक्त किया है कि वह, अभियुक्त को नहीं जानता है। घटना दिनांक को वह घर पर था, तभी रात्रि लगभग 03.00 बजे उसे फोन के माध्यम से सूचना मिला कि उसकी वाहन क्रमांक CG19–BF–3798 का एक्सीडेंट पारागांव में हो गया है, जिससे ट्रक के चालक एवं हेल्पर को चोट आयी है, सूचना मिलने पर वह सुबह घटनास्थल गया, जहां उसने देखा कि घटनास्थल पर दोनों ट्रक क्षतिग्रस्त हालत में खड़ी हुई थी, जिसके पश्चात उसने थाना बालोद में उक्त घटना की रिपोर्ट दर्ज करायी, प्रथम सूचना रिपोर्ट **प्रपी.01** तथा घटनास्थल का नजरीनक्शा **प्रपी.04** है।

12– अभियोजन द्वारा साक्षी को जिरह स्वरुप प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने पुलिस बयान प्रपी.05 के अ से अ भाग का कथन देना स्वीकार किया है तथा प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षीगण ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि घटना समय वह घटनास्थल पर उपस्थित नहीं था, इसलिये उसने घटना होते नहीं देखा है, जिससे

वह नही बता सकता कि घटना दिनांक को वाहन तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चल रही थी नहीं।

13– **किर्तन (अ.सा.–03)** ने अपने न्यायालयीन कथन में व्यक्त किया है कि वह, अभियुक्त को नहीं पहचानता है। घटना दिनांक 19.06.2019 व समय को वह घर पर था, तब शासकीय अस्पताल, बालोद से उसे फोन के माध्यम से सूचना मिला उसके पुत्र उत्तम देवांगन/मृतक का एक्सीडेंट हो गया है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, सूचना मिलने पर वह शासकीय अस्पातल, बालोद गया, जहां उत्तम देवांगन के प्राथमिक उपचार पश्चात उच्च उपचार हेतु भिलाई के सेक्टर 09 अस्पताल में लेकर जाने का सुझाव दिया, सेक्टर 09 भिलाई जाने के पश्चात वहां डॉक्टर उपलब्ध न होने से उत्तर देवांगन को उपचार हेतु स्पर्श अस्पताल ले जाया गया, जहां लगभग 08 दिवस तक उपचार पश्चात उसके पुत्र उत्तम देवांगन की मृत्यु हो गयी।

14– प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि उसने घटना होते नहीं देखा है तथा घटना के समय वाहन को कौन चला रहा था, नहीं जानना व्यक्त किया।

15– **रामजी देवांगन** (अ.सा.–04) एवं **जयप्रकाश देवांगन** (अ.सा.–05) ने अपने न्यायालयीन कथन में अभियुक्त को नहीं जानना व्यक्त किया है। घटना दिनांक को वे भिलाई में थे तथा दूसरे दिन उन्हें सूचना मिली कि पारागांव के पास ट्रक में सवार उत्तम देवांगन/मृतक के एक्सीडेंट होने के पश्चात मृत्यु हो गयी है, जिसकी पोस्टमार्टम कार्यवाही में वे उपस्थित थे, इसके अतिरिक्त घटना के संबंध में उन्हें कोई जानकारी नहीं है।

16– **डॉ. नितिश साव** (अ.सा.–08) का परीक्षण कराया गया। उन्होंने अपने न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कथन किया कि दिनांक 19.06.2019 को आहतगण उत्तम देवांगन एवं राकेश कुमार को उनके समक्ष ईलाज हेतु लाया गया था। उनके द्वारा आहतगण का मेडिकल मुलाहिजा किया गया, जो क्रमशः **(प्रपी–11 एवं 12)** है, जिसमें आहत उत्तम देवांगन को गंभीर स्थिति में लाया गया था तथा सिर के दांयी ओर गंभीर चोट आयी थी, जिसे सीटी स्कैन कराने एवं अग्रिम उपचार हेतु सलाह दी गयी।

17– आहत राकेश कुमार के सिर के बांयी ओर, बांये कान के पीछे, आंख के पास, बांये होट में चोटे आयी थी, जिसके प्राथमिक उपचार पश्चात सीटी स्कैन कराने एवं अग्रिम उपचार हेतु सलाह दिया गया। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने इस तथ्य को

स्वीकार किया कि आहतगण को आयी चोट किसी ऊपरी जगह से फिसल जाने या पत्थर से टकरा जाने चोटें आना संभव है, किंतु संभावना कभी भी साक्ष्य का स्थान नहीं ले सकती।

18– डॉ. बी. मरकाम द्वारा किया गया शव परीक्षण प्रतिवेदन **(प्र.पी.–13)** स्वीकृत है, जिसके अनुसार मृतक की मृत्यु अधिक रक्तस्त्राव (पॉलीट्रॉमा) के कारण हुयी है। चिकित्सक विशेषज्ञ की श्रेणी में आते है एवं शव परीक्षण रिपोर्ट **(प्रपी–13)** व मेडिकल मुलाहिजा **(प्रपी–11 एवं 12)** धारा 45 भारतीय साक्ष्य अधिनियम अंतर्गत सुसंगत होकर धारा 157 भारतीय साक्ष्य अधिनियम अनुसार संपोषक साक्ष्य के रूप में ग्राह्य है।

19– इस प्रकार चिकित्सक साक्षी डॉ. बी. मरकाम ने अपने शव परीक्षण प्रतिवेदन प्र.पी.13 अनुसार मृतक की मृत्यु अधिक रक्तस्त्राव (पॉलीट्रॉमा) से होना बताया है व डॉ. नितिश साव ने मुलाहिजा प्रतिवेदन प्रपी.12 में आहत राकेश कुमार को सामान्य चोटें आना बताया, जिनके कथन से आहत राकेश कुमार, साक्षीगण राजकुमार जायसवाल, किर्तन देवांगन, रामजी देवांगन, जयप्रकाश देवांगन के कथन की पुष्टी होती है। उक्त साक्षीगण के कथन कि मृतक की मृत्यु एवं आहत को चोट उक्त घटना दिनांक, समय, स्थान को हुयी है का प्रतिपरीक्षण मे खण्डन नहीं हो सका है तथा

नजरीनक्शा अनुसार घटनास्थल दुर्ग बालोद मेन रोड ग्राम पारागांव के पास की है, जो कि लोकमार्ग है। अतः उक्त साक्षीगण के कथन, प्रपी.04 घटनास्थल का नजरीनक्शा, प्र.पी.03 प्रथम सूचना रिपोर्ट अनुसार प्रमाणित है कि घटना दिनांक, स्थान एवं समय पर मृतक उत्तम देवांगन की मृत्यु एवं आहत राकेश कुमार को उपहति कारित हुयी है।

20– प्रकरण में अब यह निर्धारित किया जाना है मृतक मृतक उत्तम देवांगन की मृत्यु एवं आहत राकेश कुमार को उपहति अभियुक्त द्वारा उपेक्षा या लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने से हुयी है।

21– इस संदर्भ में अभियोजन द्वारा **प्रधान आरक्षक महंग राम देशमुख (अ.सा.–11)** ने कथन किया है कि पदस्थापना दौरान थाना के अपराध क्रमांक 278/19 की केस डायरी उसे प्राप्त होने पर उसने अभियुक्त के पेश करने पर ट्रक क्रमांक CG19–H–0760 कुल कीमत 8,00,000 रूपये मय आरसी बुक, बीमा फिटनेस तथा अभियुक्त संजय कुलदीप का ड्राईविंग लायसेंस जप्त कर जप्ती पत्रक **(प्रपी–08)** तैयार किया तथा अभियुक्त संजय कुलदीप को जप्तशुदा वाहन को पेश करने हेतु धारा 91 का नोटिस दिया गया, जो **(प्रपी–13)** है। वाहन स्वामी ज्ञानचंद संचेदी द्वारा ट्रक क्रमांक CG19–H–0760 के वाहन स्वामी होने के संबंध में प्रमाण पत्र **(प्रपी–13)**

दिया गया तथा विवेचना के क्रम में गवाह राजकुमार जायसवाल, राकेश कुमार यादव, संतोष कुमार देवांगन, जयप्रकाश देवांगन, कीर्तन देवांगन रामजी देवांगन का कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध कर कुछ जोड़ा या घटाया नहीं गया है ।

22– साक्षी ने आगे कथन किया कि उसके द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजनांदगांव को अपराध क्रमांक 278/19 धारा 279, 337, 304 ए भादवि के प्रकरण में आहत राकेश यादव का बेडहेड टिकट चाहने बाबत् आवेदन **(प्रपी–15)** दिया गया था। अभियुक्त संजय कुलदीप के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने पर उसे 02 गवाहों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक **(प्रपी–09)** तैयार कर प्रकरण जमानतीय होने पर अभियुक्त को जमानत मुचलके पर छोड़ा गया तथा संपूर्ण विवेचना पश्चात् अभियोग पत्र तैयार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

23– अभियोजन द्वारा विवेचक के समर्थन में राकेश कुमार (अ.सा.–01), राजकुमार जायसवाल (अ.सा.–02), किर्तन देवांगन (अ.सा.–03), रामजी देवांगन (अ.सा.–04), जयप्रकाश देवांगन (अ.सा.–05), लखन नरेटी (अ.सा.–06), मनीष कुमार (अ.सा.–07), डॉ. एन साव (अ.सा.–08), सुरेश धनकर (अ.सा.–09) का परीक्षण कराया गया। साक्षी राकेश ने भारतीय गैर

न्यायिक स्टांप प्रपी.01, रामजी देवांगन एवं जयप्रकाश देवांगन ने मृत्यु जांच पंचनामा प्रपी.06 एवं नक्शा पंचनायतनामा प्रपी.07, लखन एवं सुरेश कुमार ने जप्ती पत्रक प्रपी.08 एवं गिरफतारी पत्रक प्रपी.09, मनीष कुमार ने मैकेनिकल मुलाहिजा प्रपी.10 में अपना–अपना हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है।

24– प्रकरण के आहत/प्रत्यक्ष साक्षी राकेश कुमार ने अपने मख्य परीक्षण में अभियुक्त को नहीं पहचानना व्यक्त करते हुये घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं होने का कथन किया है एवं साक्षीगण राजकुमार एवं किर्तन ने भी अभियुक्त को नहीं जानना व्यक्त कर प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि वे घटना समय घटनास्थल पर उपस्थित नहीं होने से घटना होते नहीं देखे है, जिससे वे नही बता सकते कि घटना दिनांक को दुर्घटनाकरित वाहन कौन व कैसे चला रहा था। उपरोक्त सभी साक्षियों एवं आहत के कथनों से यह दर्शित होता है कि घटना दिनांक को किस व्यक्ति द्वारा दुर्घटनाकारित वाहन को चलाया जा रहा था, इस संबंध में साक्षीगण को कोई जानकारी नही है, जिससे दर्शित होता है कि अभियुक्त द्वारा घटना दिनांक, समय व स्थान पर वाहन नहीं चलाया जा रहा था। परिणामस्वरूप उपेक्षा एवं लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने का प्रश्न महत्वहीन हो जाता है। अतः विचारणीय प्रश्न **क्रमांक 01 "अप्रमाणित"** धारित किया जाता है।

विचारणीय प्रश्न क्र. 2

25– प्रकरण की संपूर्ण विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि, अभियोजन अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त शंका से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है तथा विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि किंचित मात्र भी संदेह का लाभ अभियुक्त को दिया जाता है। अत: अभियुक्त **संजय कुलदीप, पिता स्व. बंशीलाल कुलदीप, उम्र 27 वर्ष, साकिन कराठी, थाना भानुप्रतापपुर, जिला कांकेर (छ.ग.)** को **भारतीय दंड संहिता की धारा– 279, 337** एवं **304–ए** के अपराध से **दोषमुक्त** किया जाता है।

26– प्रकरण में जप्तशुदा वाहन ट्रक क्रमांक CG19–H–0760 मय कागजात उसके पंजीकृत स्वामी को पूर्व में ही सुपुर्दनामें पर दिया जा चुका है एवं संजय कुलदीप को उसका ड्राईविंग लायसेंस प्रदान की जावें। अतः प्रकरण की अपील नहीं होने की दशा में अपील अवधि पश्चात सुपुर्ददार के पक्ष में अंतिम रूप से सुपुर्द किया जावे एवं अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार उक्त संपत्ति का व्ययन किया जावे।

27– द.प्र.स. की धारा 437(क) के अनुपालन में अभियुक्त द्वारा पूर्व में पेश जमानत मुचलका निर्णय दिनांक से आगामी 6 माह तक प्रभावी रहेगा, तथा उक्त अवधि के अवसान पश्चात अभियुक्त का जमानत मुचलका स्वमेव निरस्त माना जावेगा।

28– निर्णय की नि:शुल्क प्रति अभियोजन को प्रदान की जावे।

29– निर्णय की प्रति जिला न्यायायल, बालोद छ.ग. की ऑफिशियल वेबसाइट– सी.आई.एस. पोर्टल पर अपलोड किया जावें।

30– प्रकरण में अभियुक्त के द्वारा अभिरक्षा में व्यतीत की गयी अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अन्तर्गत निम्नलिखित है–

क	**आरोपी का नाम**	**पुलिस अभिरक्षा की अवधि**	**न्यायिक अभिरक्षा की अवधि**	**कारावास की कुल अवधि जो सजा में समायोजित किया जाना हो।**
1	2	3	4	5
1	संजय कुलदीप	निरंक	निरंक	—

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

sd/-
(श्रीमती हीरा सिन्हा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बालोद, जिला– बालोद (छ.ग.)

मेरे निदेशन पर टंकित।

sd/-
(श्रीमती हीरा सिन्हा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बालोद, जिला– बालोद (छ.ग.)

HEERA SINHA
Digitally signed by HEERA SINHA